

संदर्भ संख्या /यूपीसीडा/औ०क्षे०/SEZ Agenda Male

दिनांक:

कार्यालय आदेश

यूपीसीडा द्वारा विकसित एस०ई०जेड० मुरादाबाद की स्थापना, एस०ई०जेड० एक्ट के अन्तर्गत निर्यात को बढ़ावा दिये जाने तथा निर्यातानुमुखी इकाईयों को सुविधाओं देने के उद्देश्य से हुई है। एस०ई०जेड, मुरादाबाद के एक बॉन्डेड क्षेत्र होने के कारण, यहाँ भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्र प्रबन्धक कार्यालय, एस०ई०जेड, यूपीसीडा, मुरादाबाद द्वारा तकनीकी परीक्षण के बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यूनिट अप्रूवल कमेटी द्वारा भवन मानचित्र का अनुमोदन अनिवार्य है जिसके कारण होने वाले विलम्ब के कारण एस०ई०जेड० मुरादाबाद के आवंटियों पर समय विस्तारण शुल्क की देयता भारित की जाती है।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 40वीं बॉर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित अवधि 15 दिन के उपरान्त एस०ई०जेड, मुरादाबाद के प्रकरणों में यूनिट अप्रूवल कमेटी से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि तक लगने वाले समय को, आवंटियों को इकाई उत्पादनरत करने हेतु निर्धारित निशुल्क समय में शून्यकाल माना जाएगा तथा तदपश्चात ही समय विस्तारण शुल्क प्रभावी किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से केवल अनिस्तारित प्रकरणों पर लागू होगा।

(अस्मिता लाल)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 949-954 /यूपीसीडा/औ०क्षे०/SEZ Agenda Male

दिनांक: 29/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा.....।
4. क्षेत्र प्रबंधक, यूपीसीडा, एस०ई०जेड०, मुरादाबाद।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औ०क्षे० अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय.....।
6. प्रभाषी-कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
7. गार्ड फाईल।

(अस्मिता लाल)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी